



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

संजय भा. गवई
Sanjay B. Gawai
कुलसचिव / Registrar

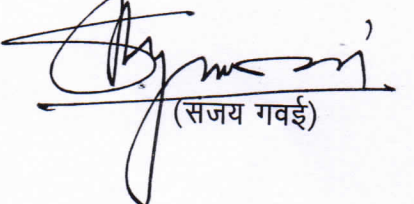
दूरभाष / Phone: +91-7152-230902
फैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/AT (AC)/2015/439
दिनांक: 07.07.2015

अधिसूचना

विद्या-परिषद की 23.06.2015 को सम्पन्न 23^{वीं} बैठक की मद संख्या 10 के अंतर्गत लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के दूरशिक्षा निदेशालय के दिनांक 22.06.2015 के पत्रांक: 10/SC/DDE/2014 के क्रम संख्या 15 से 19 के अंतर्गत 05 संस्थानों/महाविद्यालयों तथा इस मद में सूचित 14 संस्थानों/महाविद्यालयों को **अधिकृत अध्ययन केंद्र** के रूप में 03 वर्ष के लिए अस्थाई मान्यता दिए जाने के निर्णय को कार्यान्वयन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

साथ ही मीडिया, प्रबंधन तथा फिल्म अध्ययन के पाठ्यक्रम संचालन हेतु संयुक्त पायलट प्रोजेक्ट बनाने तथा आरंभ में उसे विश्वविद्यालय के इलाहाबाद एवं कोलकाता स्थित क्षेत्रीय केंद्रों में आरंभ करने का निर्णय लिया जाता है।



(संजय गवई)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. सहायक कुलसचिव (परिषद)
5. स्थापना विभाग
6. निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय
7. वित्त विभाग
8. प्रभारी लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. संबंधित फाइल